

## 26 March The Hindu (Paradigm shift for TB Control)

- भारत में टीबी सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी है अन्य संक्रामक मौतों की अपेक्षा TB से होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक है। सरकार द्वारा टीबी की रोकथाम हेतु प्रयास किए जाते रहे हैं, इसके बावजूद इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जा सका है।

- 1962 में 'राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम' (NTP) लांच किया गया था। इसके बाद 1978 में टीकाकरण के विस्तार हेतु (EPI) कार्यक्रम चलाया गया जिसके अंतर्गत जन्म के तुरंत बाद शिशुओं को बीसीजी (बेसिल-कॉलमेट-ग्युरिन) का टीका लगाया गया लेकिन 1990 में इन दोनों कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया तो इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

- 1993 में संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) शुरू किया गया इसका उद्देश्य रोगियों को निःशुल्क इलाज व उपचार देना था। लेकिन इलाज, बचाव नहीं है, टीबी को नियंत्रित करने के लिए इलाज से बेहतर रोकथाम या बचाव होता है।

### लघु नियंत्रण

- NTP व EPI कार्यक्रम के फेल होने के कारण क्या थे? 1964 में बीसीजी वैक्सीन का परीक्षण तमिलनाडु (चिंगलपेट) में शुरू किया था। इसकी अंतिम रिपोर्ट 1999 में इंडियन जनरल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुई, तब तक 1993 में RNTCP लांच हो चुका था। इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि बीसीजी वैक्सीन व्यस्क पल्मोनरी टीबी से सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। बीसीजी टीकाकरण छोटे बच्चों में गंभीर बहु-अंग टीबी को रोक सकता है इसलिए इसे जारी रखा जाना चाहिए लेकिन यह टीबी को नियंत्रित नहीं कर सकता है।

- भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों में से 200 से 300 टीबी के मामले सामने आते हैं। इन टीबी के रोगियों का इलाज अतिशीघ्र न सिर्फ मृत्यु दर को कम करने के लिए, बल्कि अन्य व्यक्तियों को इनसे फैलने वाले संक्रमण से बचाने हेतु किया जाना चाहिए।

- 2014-15 तक RNTCP प्रोग्राम मृत्यु दर को कम करने में सफल हुआ लेकिन टीबी को नियंत्रित करने में विफल रहा। जब किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है एवं यह एक संक्रामक बीमारी भी है, तो इलाज के दौरान कई हफ्तों का अंतराल होता है और इसी अंतराल में टीबी संक्रमण आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है।

- यदि हम इस अंतराल पर फोकस करें तो संक्रमण रोककर टीबी को नियंत्रित किया जा सकता है।

- टीबी को नियंत्रित करने के लिए ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड इंटरनेशनल हेल्थ (जनरल) में एक लेख प्रकाशित हुआ था इस लेख में कहा गया कि टीबी को नियंत्रित करने के लिए इनोवेटिव स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए।

- **तमिलनाडु पायलट मॉडल**-नई रणनीति को अपनाने के लिए तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में योजना बनाई गई। तमिलनाडु हमेशा से ही स्वास्थ्य प्रबंधन में सबसे प्रगतिशील राज्य रहा है। यदि यह रणनीति सफल साबित हुई तो इसे तमिलनाडु के अन्य सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इस रणनीति में RNTCP योजना की कमी साथ-ही-साथ 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' पर फोकस किया गया था।

- रोटरी अभियान जिसने पोलियो उन्मूलन में अपनी सामाजिक गतिशीलता की मजबूती को प्रदर्शित किया था। यह तमिलनाडु सरकार के साथ भागीदारी करेगा।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं। प्रतिवर्ष 3 लाख लोगों की मौत टीबी के कारण होती है।

- तमिलनाडु में अपनाई जा रही नई रणनीति टीबी नियंत्रण हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य निवारक निदेशालय, राष्ट्रीय

स्वास्थ्य मिशन, राज्य व जिला स्वास्थ्य एंजिसियो, शिक्षा व सामाजिक कल्याण विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज आदि सभी को शामिल किया जाएगा।

- टीबी नियंत्रण हेतु इसकी संक्रामक प्रगति और संचरण को रोकना आवश्यक है। पल्मोनरी टीबी संचरण का कारण बनती है तथा यह दुष्चक्र टीबी नियंत्रण के प्रभावों को कम करता है।

#### क्या स्वास्थ्य शिष्टाचार अपनाए जाए?

- टीबी के जीवाणु हवा के द्वारा संक्रमण फैलाते हैं, एक पल्मोनरी टीबी से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए संक्रमित व्यक्ति को अपने मुंह को ढककर रखना चाहिए। यह कार्य स्वास्थ्य जागरूकता व सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार करके किया जा सकता है।

- कभी-कभी TB का संक्रमण हो जाने पर भी यह संक्रमण मौन रहता है, इसके लिए आवश्यक है कि टीबी की जांच (IST) हेतु अभियान चलाया जाए चूंकि यह टेस्ट सभी का कराना संभव नहीं तो स्कूली बच्चों (5, 10 तथा 15 वर्ष) व उनके साथियों का परीक्षण करके TB संक्रमण पॉजिटिव बच्चों के लिए निवारक उपचार प्रदान किया जाए।

- विश्व टीबी दिवस '24 मार्च' को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2018 में टीबी शिखर सम्मेलन के शुभारंभ पर घोषणा की थी कि भारत से 2025 तक टीबी को समाप्त कर दिया जाएगा।

- 26 सितंबर 2018 को टीबी पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक वैश्विक महामारी के लिए तत्काल वैश्विक प्रतिक्रिया पर एजेंडा जारी किया गया तथा टीबी नियंत्रण हेतु बायोमेडिकल और सामाजिक-व्यवहार में परिवर्तन की रणनीति को अपनाने पर जोर दिया।

#### प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में सर्वप्रथम तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
  2. राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम शुल्क पर उपचार उपलब्ध कराना है।
  3. RNTCP प्रोग्राम टीबी नियंत्रित करने में सफल रहा लेकिन मृत्यु दर को कम नहीं किया जा सका।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) उपर्युक्त सभी

#### प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न का उत्तर (A)

##### मुख्य परीक्षा प्रश्न

**प्रश्न-** विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार टीबी के सर्वाधिक मामले भारत में पाये जाते हैं। क्षयरोग (टीबी) जैसी संक्रामक रोग निरंतर भारत को दुर्बल बनाता जा रहा है। इस कथन के संदर्भ में क्षयरोग के उपचार एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाये गए कदमों की चर्चा करें।

## Encouraging Secret donations

- भारत में बड़े पैमाने पर चुनाव अभियान के खर्च के बावजूद इसकी अपारदर्शी प्रक्रिया की सार्वजनिक जांच नहीं की जाती। चुनावी बांड योजना में चंदा देने वाले व्यक्ति के नाम की गोपनीयता के कारण इस तरह की अस्पष्टता और भी बढ़ जाती हैं।
- हाल ही में चुनावी बाण्ड योजना को चुनौती देने वाली एक याचिका के उत्तर में केंद्र सरकार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक धन में पारदर्शिता को बढ़ावा देनी तथा दान दाताओं के निजता के अधिकार की रक्षा करना है। वास्तविकता में यह योजना राज्य को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निजता और सूचना के अधिकारों के पूरक स्वभाव को समझने के लिए आवश्यक है।
- 2017 में चुनावी बांड पेश करने के लिए चार संशोधन किए गए-भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013।
- सरकार ने तर्क दिया कि बैंक मार्ग का उपयोग कम नकद लेनदेन को प्रोत्साहित करेगा तथा चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। बैंक के माध्यम से लेन-देन से व्हाइट मनी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा बैंकों के केवाईसी योजना की राह आसान होगी।
- इस योजना से राजनीतिक पारदर्शिता में और भी कमी आई, क्योंकि चुनावी बांड के अंतर्गत क्रेता और राजनीतिक दल को पहचान उजागर करना आवश्यक नहीं था। दान देने वाले व्यक्ति द्वारा राजनीतिक पार्टी के शासन में आने से अनावश्यक लाभ लिया जा सकता है। कारपोरेट प्रायोजन पर पहले जो प्रतिबंध था उसे हटा दिया गया तथा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति द्वारा भी दान दिया जा सकता है। अर्थात् विदेशी दान की अनुमति दी गई।
- राजनीतिक चंदा देने के लिए कंपनी को 3 साल तक अस्तित्व में रहने की आवश्यकता को भी हटा दिया गया। शेल कंपनी का इस्तेमाल काले धन को जमा करने के लिए किया जा सकता है। इस योजना में इसकी अनदेखी की गई।
- यह योजना सार्वजनिक जांच के दायरे से बाहर होगी तथा बांड केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं। लेन-देन की सारी जानकारी केवल केंद्रीय सरकार को होगी जबकि बैंकों पर भी अक्सर मनी लान्ड्रिंग में शामिल होने के मामले सामने आए हैं ऐसे में बैंकों के उपयोग से भी भ्रष्टाचार व पारदर्शिता प्रभावित होगी।
- केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि चुनावी बॉन्ड खरीददारों की गोपनीयता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। जबकि भारत में निजता का अधिकार व्यक्ति की स्वायत्ता और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होता है लेकिन यदि सूचना सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं जो दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करे ऐसी सूचना का खुलासा होना चाहिए।
- सार्वजनिक अधिकारियों के फैसलों को सार्वजनिक जांच के दायरे में लाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा गलत तरीके से किसी को लाभ तो नहीं पहुंचाया गया है।
- राजनीतिक दलों की फंडिंग को बढ़ाने वाले व्यक्तियों द्वारा पार्टी के सत्ता में आने पर पार्टी के नीतिगत निर्णयों पर प्रभाव डाला जा सकता है। जिससे हितों का संघर्ष उत्पन्न होगा। ऐसे में जनता के पास यह अधिकार होनी चाहिए कि वह किसी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई पर रोक लगा सके।
- इस तरह चुनावी बॉन्ड पर गोपनीयता और सूचना के अधिकारों की पूरक प्रकृति को पहचानने की आवश्यकता है अर्थात् राज्य को अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

